ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 02.02.2018 का कार्यवृत्त

समयः 02:00 बजे
स्थानः माननीय कुलपति महोदय के आवासीय सभागार

उपस्थिति

1.	प्रो0 सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डा0 अजय नाथ झा	–	सदस्य
3.	डा0 भोला चौरसिया	–	सदस्य
4.	डा0 अमर कुमार	–	सदस्य
5.	डा0 अजीत कुमार चौधरी	–	सदस्य
6.	डा0 एन0के0 अग्रवाल	–	सदस्य
7.	डा0 अवधेश कुमार सिंह	–	सदस्य
8.	डा0 अरूणिमा सिन्हा	–	सदस्य
9.	श्रीमती इस्मत जहाँ	–	सदस्य
10.	डा0 बैद्यनाथ चौधरी	–	सदस्य
11.	डा0 विनोद कुमार चौधरी	–	सदस्य
12.	डा0 फैयाज अहमद	–	सदस्य
13.	डा उपेन्द्र कुमार	–	सदस्य
14.	डा0 महेन्द्र प्रसाद सिंह	–	सदस्य
15.	डा0 विरेन्द्र कुमार चौधरी	–	सदस्य
16.	डा0 मदन मोहन झा	–	सदस्य
17.	श्री संजय सरावगी	–	सदस्य
18.	डा0 डी0 एन0 पासवान	–	सदस्य
19.	मो0 अमानुल हक	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	श्री विनोद कुमार, वित्त पदाधिकारी	–	विशेष आमंत्रित सदस्य
21.	मुस्तफा कमाल अंसारी, कुलसचिव	–	सचिव

कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए तथा नए साल की पहली बैठक में स्वागत किया तथा सुचित किया गया कि विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह 26 मार्च को आयोजित किये जाने की स्वीकृति महामहिम कुलाधिपति महोदय से प्राप्त हो चुकी है तदोपरान्त कुलसचिव द्वारा कोरम पूरा होने की सूचना अध्यक्ष महोदय को प्रदान किया गया और बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने की अनुमति माननीय कुलपति–सह–अध्यक्ष महोदय से माँगी गयी। अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की विधिवत् कार्यवाही कुलसचिव द्वारा प्रारम्भ की गयी। कार्यवाही के प्रारंभ में ही श्री संजय सरावगी ने संत कबीर महाविद्यालय का मामले मेरे द्वारा उठाया गया जो मेरे नाम से प्रस्ताव में अंकित नही होने की बात कही तथा कार्यसूची पहले उपलब्ध कराए जाने की माँग की जिस पर "**अध्यक्ष महोदय ने बैठक**

के 10 दिन पहले कार्यसूची उपलब्ध कराए जाने तथा नाम अंकित कर प्रस्ताव लिखे जाने का निर्देश दिया तथा रूल ऑफ प्रोसिडिंग्स के प्रस्ताव भी लाए जाने हेतु भी निर्देश दिया। "

मद सं0 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 19.12.2017 के कार्यवृत की संपुष्टि पर विचार।

निर्णयः **अभिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2017 के कार्यवृत को पढ़ा गया अभिषद् की बैठक दिनांक 12.12.2017 के कार्यवृत बैठक के मद सं0 1 के अतिरिक्त मद सं 01 में " वित्तीय अनियमितता अगर पायी जाती है तो मामले की जॉच किये जाने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।" के स्थान पर "वित्तीय अनियमितता के जॉच किये जाने की सहमति बनी तथा जॉच समिति के प्रतिवेदन को अगली बैठक में उपस्थित किया जाय" अंकित कर पढ़े जाने की सहमति बनी। अतिरिक्त मद सं 03 में दाता सदस्यों की सूची अगली बैठक में रखी जाय तथा अतिरिक्त मद सं0 7 के प्रस्ताव किस प्रकार उपस्थित हुई इसकी जानकारी अगले बैठक में उपल्बध कराए जाने का दुबारा निर्देश दिया गया। तदोपरान्त अभिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2017 के कार्यवृत के मद सं0 9 में चार साल से नियमित संचालन हो रहे बी0 एड0 महाविद्यालय के स्थाई संबंद्धन के सम्बन्ध में पहले आने वाले महाविद्यालयों को पहले संबंद्धन दिये जाने की सहमति बनी। उक्त संशोधनों के साथ गत बैठक के सभी निर्णयों को यथावत सम्पुष्ट किया गया।**

मद सं0 2. अभिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2017 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन–प्रतिवेन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, अभिषद् की बैठक दिनांक 19.12.2017 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन–प्रतिवेन पर सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। परिशिष्ट –(क) पृ0सं0–(7–8)**

मद सं0 3. अधिषद् की बैठक दिनांक 22.12.2017 के संक्षिप्त कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, अधिषद् की बैठक दिनांक 22.12.2017 के संक्षिप्त कार्यवृत के अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ख) पृ0सं0–(9 –18)**

मद सं0 4. वित्त समिति की बैठक दिनांक 01.02.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, वित्त समिति की बैठक दिनांक 01.02.2018 के कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ग) पृ0सं0–(19 – 20)**

मद सं0 5. परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 8.01.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 8.01.2018 के कार्यवृत को पढ़ा गया। विचारोपरान्त, परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 8.01.2018 के कार्यवृत के मद सं0 3 के निर्णय में विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित मामले में किये गये प्रक्रिया से सदन को अवगत कराये जाने की सहमति बनी तथा अन्य मदों को यथावत अनुमोदित किया गया।**

मद सं0 6. **अतिरिक्त यदि कोई हो(अध्यक्ष की अनुमति से)। परिशिष्ट –(घ) पृ0सं0–(21 –23)**

अतिरिक्त मदः 01. 79वीं सलाहकार समिति दिनांक 21.11.2017 के मद सं0 79.5 के निर्णयालोक में ज्ञापांक 4352–56/18 दिनांक 15.01.2018 द्वारा गठित जॉच समिति के अनुशंसा के आलोक में अध्ययन केन्द्र खोलने/संचालित करने पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, 79वीं सलाहकार समिति दिनांक 21.11.2017 के मद सं0 79.5 के निर्णयालोक में ज्ञापांक 4352–56/18 दिनांक 15.01.2018 द्वारा गठित जॉच समिति के अनुशंसा के आलोक में सलाहकार समिति के अनुमोदन के प्रत्यासा में अध्ययन केन्द्र खोलने/संचालित करने की सहमति प्रदान की गयी। परिशिष्ट –(ङ) पृ0सं0–(24–25)**

अतिरिक्त मदः 02. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में भूगोल विषय के नवनियुक्त व्याख्याताओं की नियुक्ति एवं स्थापन के घटनोत्तर अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः	**विचारोपरान्त, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में भूगोल विषय के नवनियुक्त व्याख्याताओं की नियुक्ति एवं पदस्थापन के घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया। परिशिष्ट –(च) पृ0सं0–(26 –27)**
अतिरिक्त मदः 03.	प्रेस समिति दिनांक 18.01.2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, प्रेस समिति दिनांक 18.01.2018 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(छ) पृ0सं0–(28–31)**
अतिरिक्त मदः04.	नामांकन समिति की बैठक दिनांक 09.01.2018 एवं 25.01.2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, नामांकन समिति की बैठक दिनांक 09.01.2018 एवं 25.01.2018 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ज) पृ0सं0–(32–33)**
अतिरिक्त मदः 05.	छात्रावास एवं कल्याण समिति की बैठक दिनांक 13.01.2018 की कार्यवाही के अनुमोदन के विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, छात्रावास एवं कल्याण समिति की बैठक दिनांक 13.01.2018 की कार्यवाही को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(झ) पृ0सं0–(34)**
अतिरिक्त मदः 06.	महिला प्रौधोगिकी संस्थान, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंध परिषद् की बैठक दिनांक 24.01.2018 में की गयी अनुशंसाओं पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, महिला प्रौधोगिकी संस्थान, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंध परिषद् की बैठक दिनांक 24.01.2018 में की गयी अनुशंसाओं को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ञ) पृ0सं0–(35 – 42)**
अतिरिक्त मदः 07.	अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 15.12.2017 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, अनुशासन समिति की बैठक दिनांक 15.12.2017 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया । परिशिष्ट –(ट) पृ0सं0–(43)**
अतिरिक्त मदः 08.	बहेड़ा महाविद्यालय, बहेड़ा–बेनिपुर, दरभंगा एवं नागेन्द्र झा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा में शासी निकाय के सदस्यों के समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त मनोनीत नये सदस्यों के अनुमोदन के सम्बन्ध में विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, बहेड़ा महाविद्यालय, बहेड़ा–बेनिपुर, दरभंगा एवं नागेन्द्र झा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा में शासी निकाय के सदस्यों के समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त मनोनीत नये सदस्यों के नामों को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ठ) पृ0सं0–(44)**
अतिरिक्त मदः 09.	डी0एन0वाई0 कॉलेज, मधुबनी में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विघटित शासी निकाय को पुनर्जीवित किये जाने एवं गठित तदर्थ–समिति एवं उसके द्वारा किये गये सभी कार्यों को निरस्त किये जाने से संबंधित कृत कारवाई से अवगत कराये जाने के संबंध में विचार।
निर्णयः	**विचारोपरान्त, डी0एन0वाई0 कॉलेज, मधुबनी में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विघटित शासी निकाय को पुनर्जीवित किये जाने एवं गठित तदर्थ–समिति एवं उसके द्वारा किये गये सभी कार्यों को निरस्त किये जाने से संबंधित कृत कारवाई से अवगत कराये जाने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि कॉलेज सेवा**

आयोग से अनुशंसित नामों में किये गये परिवर्तन के संबंध में माननीय उच्च न्ययालय एवं विश्वविद्यालय के पत्र की अवहेलना हेतु कारण–पृक्षा करते हुए नियमानुकूल/विधिसंगत कार्रवाई किये जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय अधिकृत किये जाते है।

अतिरिक्त मदः 10. श्री सोहन चौधरी, विश्वविद्यालय अभियंता, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रोन्नति की तिथि में संशोधन करने पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, श्री सोहन चौधरी, विश्वविद्यालय अभियंता, ल0ना0 ıथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रोन्नति की तिथि Date of Eligibility (01.09.2014) से किए जाने की सहमति बनी।**

अतिरिक्त मद : 11. दिनांक 30.01.2018 को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीयों के साथ हुई बैठक में शिक्षकों के राज्यव्यापी हड़ताल अवधि 01.08.2000 से 09.12.2000 अर्थात 131 दिनों के मामले में लिए गए निम्नवत निर्णय के आलोक में संदर्भित मामला अभिषद् की बैठक में विचारार्थ उपस्थापित।

निर्णयः **विचारोपरान्त, दिनांक 30.01.2018 को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीयों के साथ हुई बैठक में शिक्षकों के राज्यव्यापी हड़ताल अवधि 01.08.2000 से 09.12.2000 अर्थात 131 दिनों के मामले में ।..ए गए निर्णय–**

e) E.L.upto Sept 2006 may be calculated and strike period of 131days be adjusted from the E.L. at credit of a teacher.

f) Rest period if not covered under E.L.to be regularised by engaging extra classes.

g) As per Court's order of 2013, Certification by Principal to have engaged extra classes by the teachers must corre' 'e to attendance register so students of that subject whose classes were taken by the concerned teachers in extra then the routine.

h) If clear certificate with regard to engaging extra classes is not made available, then entire residual strike period to be adjusted from the E.L. को अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मदः 12. राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद–सृजन में दी गयी सहमति एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 57 (b) (6) के अनुपालनार्थ केन्द्रीयकृत रूप से चयन–समिति कराय जाने पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद–सृजन में दी गयी सहमति एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 57 (b) (6) के अनुपालनार्थ केन्द्रीयकृत रूप से चयन–समिति कराये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। परिशिष्ट –(ङ) पृ0सं0–(45–46)**

अतिरिक्त मदः 13. To consider the meeting of Advisory Committee of the Certificate course in Human Consciousness and Yogic Scien , will be held on 01.02.2018

निर्णयः The meeting of Advisory Committee was held on 01.02.2018 of the Certificate course in Human Consciousness and Yogic Sciences was considerd.परिशिष्ट –(ढ़) पृ0सं0–(47–48)

अतिरिक्त मदः 14. विश्वविद्यालय अधीन अंगीभूत महाविद्यालयों एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम से संचालित नियमित बी0 एड0 कार्यक्रम में छात्र संख्यॉ के अनुरूप शिक्षको के नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किये जाने की सूचाना पर विचार।

निर्णयः **अभिषद द्वारा विज्ञापन कियें जाने की सुचना ग्रहण की गयी।**

अतिरिक्त मदः 15. विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली में आटोमेशन कराए जाने पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, विश्वविद्यालय के कार्यप्रणाली में आटोमेशन कराए जाने पर सहमति प्रदान की गयी।**

अतिरिक्त मदः 16. विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह के आयोजन दिनांक 26.03.2018 को कराये जाने पर महामहिम कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति मिल गयी है, की सूचना पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह के आयोजन दिनांक 26.03.2018 को कराये जाने पर महामहिम कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति मिल गयी है, की सूचना ग्रहण करते हुए आयोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

अतिरिक्त मदः 17. विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह के आयोजन के अवसर पर दो विशिष्ट व्यक्तियों को डी0 लीट0 की मानद उपाधि दिए जाने तथा दीक्षांत भाषण हेतु मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमेन को आमंत्रित किये जाने पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह के आयोजन दिनांक 26.03.2018 के अवसर डा0 विनोद कुमार चौधरी एवं डा0 बैधनाथ चौधरी ने दो व्यक्तियों 1. पद्म भुषण से सम्मानित श्रीमती शारदा सिन्हा एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉ0 मानस बिहारी वर्मा को डी0 लीट0 की मानद उपाधि दिए जाने का प्रस्ताव किया, जिसे सर्वसम्मति से सदन में अनुमोदित किया गया तथा दीक्षांत भाषण हेतु मुख्य अतिथि क रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमेन को आमंत्रित किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।**

अन्यन्य मदः 1. श्री संजय सरावगी ने प्रस्ताव किया कि विश्वविद्यालय में आउटसोर्स बहाली की प्रक्रिया में दक्षता जॉच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, जिस पर–

विश्वविद्यालय के आगामी होने वाली आउटसोर्स बहाली में विश्वविद्यालय स्तर पर दक्षता जॉच किए जाने तथा आरक्षण प्रणाली को अनुपालित किए जाने की सहमति बनी।

अन्यन्य मदः 2. डा0 विनोद कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि महामहीम कुलाधिपति महोदय के आदेश के बाद भी किन परिस्थितियों में एम0 आर0 एम0 महाविद्यालय दरभंगा के डा0 कन्हैया झा एवं एम0 एल0 एस0 एम0 महाविद्यालय,दरभंगा के डा0 अरूण कुमार झा को विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान दिये जाने के बाद पुनः किस कारण से भुगतान रोक दिया गया, जिस पर–

कुलपति सह अध्यक्ष महोदय द्वारा न्ययोचित कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया।

अन्यन्य मदः 3. श्री संजय सरावगी ने प्रस्ताव किया कि सम्बद्ध महाविद्यालय के वरीय शिक्षको को हेड परीक्षक बनायी जाय,स्नातक प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड की उत्तर पुस्तिका की जॉच वि0वि0 स्तर पर करायी जाय,नैक से बी0 ग्रेड प्राप्त सम्बद्ध महाविद्यालयो को रूसा से अनुदान हेतु पत्र लिखा जाय, परीक्षा परिणाम के पेंडिग समाधान हेतु मेमों की सही रख–रखाव विश्वविद्यालय स्तर पर की जाय, विकलांगता से संबंधिन राज्य सरकार के पत्र का संज्ञान लेने एवं संतकबीर महाविद्यालय के बैंक खाता बंद रहने के मामले को देखे जाने जिस पर–

कुलपति सह अध्यक्ष महोदय द्वारा नियमानुकूल प्रक्रिया से कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया।

अन्यन्य मदः 4. **डा0** अजीत कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि अनुकम्पा समिति की बैठक जल्द बुलाकर बहाली प्रारंभ किया जाय,शिक्षकेत्तर कर्मियों के प्रोन्नति की परीक्षा आयोजन किया जाय एवं सभी अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों को अनुसुचित जाति एवं महिलाओं के नामांकन निःशुल्क किए जाने का पत्र दिया जाय, जिस पर–

कुलपति सह अध्यक्ष महोदय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया गया।

अन्यन्य मदः 5. **डा0 अमर** कुमार ने प्रस्ताव किया कि डा0 फुलो पासवान के आवेदन पर विचार किया जाय जिस पर–

विश्वविद्यालय कौंसिल से मन्तव्य प्राप्त करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई किए जाने की सहमति बनी।

बैठक के अंत में कुलसचिव द्वारा बैठक के संचालन में सहयोग एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने हेतु सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गयी।

ह0/–
(मुस्तफा कमाल अंसारी)
कुलसचिव–सह–सचिव

ह0/–
(सुरेन्द्र कुमार सिंह)
कुलपति–सह–अध्यक्ष

ज्ञापांक : UB-408/18

दिनांक : 2-2-2018,

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. **अभिषद् के सभी माननीय सदस्य**, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. **सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।**
3. **निदेशक,उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।**

4. उप–सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. सभी पदाधिकारी / कुलपति के सचिव / प्रति–कुलपति / वित्तीय परामर्शी / कुलसचिव के निजी सहायक, ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

2.2.18
कुलसचिव